न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 29/2026(GCMS 2026/69)
(RTI No. 212623990520334)

श्री कन्हैया लाल गेदर 69– पवनपुरी गेदर फर्नीचर हाऊस के पास, गली नं. 02, 5 ई छोटी, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 97826–78213)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

सचिव, **नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

27.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कन्हैया लाल गेदर स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्याय, श्रीगंगानगर से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई, इसलिए उसने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री कन्हैया लाल गेदर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. दिनांक 14.07.2023 को प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र बाबत चक 5 ई छोटी के मुरब्बा नं. 14, किला नं. 4 में दुकान संख्या 25 का पट्टा बनाए जाने का आवेदन, आवेदक द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया गया था, उस पर दिनांक 30.12.2025 जो जो कार्यालय टिप्पणी का अंकन किया गया, उस पर की गई कार्यालय टिप्पणी हस्ताक्षयुक्त अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां दो।
2. यदि उक्त वर्णित भू भाग दुकान नं. 25 का पट्टा जारी करने की प्रक्रिया लंबित है तो उसकी भी लिखित सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाई जावे।

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/26/1554 दिनांक 19.03.2026 एवं स्मरण पत्र सीजी/वाचक/26/1965 दिनांक 05.05.2026 से सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

गया था, परन्तु उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी को कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **सचिव, नगर विकास न्याय, श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर